SHRI DINESH TRIVEDI: The reason why they are not allowing is that they are guilty of killing farmers ...*(interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Why are you so much agitated? ...*(interruptions)*... ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए। बिना मेरी अनुमति के कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। त्रिवेदी जी, आप बोलिए। अपना क्वेश्चन जल्दी खत्म कीजिए।

SHRI DINESH TRIVEDI: My query is this: What is the Central Government doing to stop this unfair practice by several State Governments, especially, the Government of West Bengal?

MR. CHAIRMAN: Please, take your seats. Don't be so irritated. Otherwise, Nandigram will be a problem for your ...*(interruptions)*...

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, it is a problem for the country.

SHRI SHARAD PAWAR: This is a question that was asked regarding a particular State. The Government of India has not taken any decision regarding a particular State. The Ministry of Agriculture has communicated to the concerned authorities that we have no objection to acquisition of land for any public purpose, provided that land is not cultivable. If that land yields two crops, it should be avoided; irrigated land should be avoided; only barren land, which is a wasteland, should be acquired for industry, SEZs and so on. *(interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Next question. Shri Pyarelal Khandelwal. ...*(interruptions)*... No, I won't allow. ...*(interruptions)*... No, nothing will go on record. Shri Pyarelal Khandelwal. ...*(interruptions)*... Please, take your seats.

## चीनी के निर्यात पर राज-सहायता

*365. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी के निर्यात पर राज-सहायता देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे सरकार पर कितना वित्तीय-भार पड़ने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने यह निर्णय किया है कि आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों, विपणन और हैंडलिंग प्रभारों की लागत की अदायगी करने के लिए तटीय राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों से घरेलू तौर पर उत्पादित चीनी के निर्यात पर 1350 रुपये प्रति टन और तटीय राज्यों से इतर राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों से निर्यातित चीनी पर 1450 रुपये प्रति टन की समान दर पर निर्यात सहायता प्रदान की जाए। 19 अप्रैल, 2007 को तथा इसके बाद 18 अप्रैल, 2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो केवल खुले सामान्य लाइसेंस (और 'अग्रिम लाइसेंसों' के तहत नहीं) के तहत किए गए निर्यात इस सहायता के लिए पात्र होंगे। निर्यात सहायता की अनुमानित लागत 205 करोड़ रुपये है।

## Subsidy on Export of Sugar

†*365. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to give subsidy on export of sugar;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the likely financial burden on Government due to the same?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) to (c) .The Government have decided to provide export assistance to defray the cost of internal transport and freight charges, marketing and handling charges at a flat rate of Rs. 1350 per tonne on export of domestically manufactured sugar from sugar factories located in the coastal States and at the flat rate of Rs. 1450 per tonne from sugar factories located in other than the coastal States. Exports made under Open General License (OGL) only (and not under 'advance license') on or after 19th April, 2007 and upto 18th April, 2008 or till further orders, whichever is earlier,

†Original notice of the question was received in Hindi.

would be eligible for this assistance. The estimated cost of export assistance is Rs. 205 crores.

**श्री प्यारे लाल खंडेलवाल:** माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है कि निर्यात के लिए सरकार आंतरिक ढुलाई, भाड़ा प्रभारों, विपणन और हैंडलिंग प्रभार के लिए राज-सहायता देती है। वह तटीय राज्यों की चीनी फैक्ट्रियों को 1350 रुपए की राज-सहायता देती है और गैर-तटीय राज्यों को 1450 रुपए की राज-सहायता देती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जैसे सरकार ने यह नीति बनाई है कि जो वह निर्यात के लिए हैंडलिंग, ढुलाई और भाड़ा प्रभार के लिए राज-सहायता देती है, तो जो किसान अपने खेत से फैक्ट्री तक टैक्टर से, गाड़ी से या अन्य किसी साधन से गन्ना ले जाते हैं, क्या सरकार उनको भी इस संबंध में राज-सहायता देने पर विचार कर रही है?

**श्री शरद पवार:** यह प्रश्न सपोर्ट ऑफ सब्सिडी एंड शूगर के बारे में है। माननीय सदस्य ने जो फिगर्स दी हैं, उनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। आज जो सब्सिडी दी जाती है, वह 1350 रुपए पर टन to States which are near the ports; and for States which are away from ports, it is Rs. 100 more, that is, Rs. 1450 per tonne. That subsidy has been provided: The reason for providing this is that this year, there has been too much production of sugar in the country. The country's requirement is 190 lakh tonnes. This year, the production has been 260 lakh tonnes. Also,last year's carry over stocks to the tune of 40 lakh tonnes are also with us. That means, 300 lakh tonnes sugar is available with us. That is the reason prices have droped. It is not possible for us to enter into the international market because there is already a glut of sugar in the international markert. The Government took the decision to provide this transport subsidy to enter into the international market. The proposal for giving a transport subsidy at the farmer's level, which the hon. Member is suggesting, is not before us.

**श्री प्यारे लाल खंडेलवाल:** माननीय सभापति जी, यह बहुत अच्छी बात है कि चीनी का उत्पादन बहुत हुआ है। हमारे यहां पर उसका संग्रह भी काफी है और आज हम उसके निर्यात की स्थिति में हैं। महोदय, माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात होगा कि अभी भी देश के गन्ना उत्पादक आत्महत्या कर रहे हैं। ये गन्ना उत्पादक इसलिए आत्महत्या करते हैं कि उनका लागत मूल्य पूरी तरह से नहीं मिलता है। पिछले दिनों समाचार-पत्रों में भी यह समाचार छपा है कि देश के कई राज्यों में गन्ना उत्पादकों ने आत्महत्या की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए, गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देगी? मैं दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि उन तटीय राज्यों के क्या नाम हैं, जहां पर आप फैक्ट्रियों को राज-सहायता दे रहे हैं?

श्री शरद पवार: माननीय सदस्य ने जो आत्महत्या की बात कही है, तो हमारे पास कुछ राज्यों से गन्ना पैदा करने वाले किसानों की शिकायतें जरूर आई हैं। ये शिकायतें इसलिए आई हैं कि उनका गन्ना जिस कृषि परपज के लिए लेना चाहिए, वह लेने की प्रतिस्थिति कई मिलों के कार्य क्षेत्र में नहीं है क्योंकि वहा जरूरत से ज्यादा गन्ने की पैदावार हुई है, मगर कई राज्यों ने सभी मिल वालों को सूचना दी है कि आपको मिल का crushing season बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें जो मिलों को नुकसान होगा, इसको compensate करने के लिए कई राज्यों ने तैयारी की है और इस तरह की पालिसी announce हुई है। इसमें न्यूनतम कीमत मिलने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मार्केट की जो requirement है, इससे ज्यादा पैदावार होने के बाद इसका असर कीमत पर होगा और कीमत पर असर हुआ है तथा इसका असर sugarcane price पर होगा, मगर sugarcane के लिए जो MSP दिया है, उसे देने की जिम्मेदारी हर मिल की है।

श्री सभापति: अगर मिल इस जिम्मेदारी को नहीं निभाती, तो क्या करना चाहिए?

श्री शरद पवार: इसके खिलाफ राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात यहां पूछी गई कि कौन से राज्यों ने internal subsidy दी है और मदद देने का प्रयास किया है, मेरे पास जो जानकारी है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु - इन राज्यों ने कदम उठाए हैं और गुजरात, आंध्र प्रदेश,पंजाब और हरियाणा इस पर decision लेने की स्थिति में हैं।

*366. [The questioner (Shri Ekanath K. Thakur) was absent.

For answer *vide* page 35 *infra.]*

*367. [The questioner (Shri Ramdas Agarwal) was absent.

For answer *vide* page 36 *infra.]*

**वर्षा, ओला-वृष्टि आदि के कारण फसल को हुआ नुकसान**

*368. **श्री दत्ता मेघे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 2007 में बेमौसम की वर्षा, ओला-वृष्टि, तूफान और बर्फबारी से देश के कुछ भागों में गेहूं, सरसों और हरी सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इन आपदाओं से उबारने के लिए सरकार द्वारा किसानों को अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है?